



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)
कार्यालयीन टीप

वन विभाग

नस्ती क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-305/

रायपुर, दिनांक

22/06/2023

विषय:- Bailadila Iron Ore Mine Deposit-4

Proposal No. : FP/CG/MIN/146694/2021

User Agency Name: NMDC CMDC LIMITED

Name of Project for which Forest Land is required : Bailadila Iron Ore Mine Deposit-4

Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Proposal for diversion of 682.2722Ha (570.100 Ha inside lease and 112.1722 Ha outside lease) forest land for Bailadila Iron Ore Deposit-4 Mine of NMDC-CMDC Limited in Dantewada Forest Division, South Bastar Dantewada Dt, CG

Category of the Proposal : Mining

Shape of forest land proposed to be diverted : Hybrid

Area of forest land proposed for diversion(in ha.): 682.2722

Non-forest land required for this project(in ha.): 10.3706

Division Name: **Dantewada**

दिनांक 20.06.2023 को प्राप्त प्रस्ताव में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

आनलाईन आपत्तियाँ:

1. आनलाईन आवेदन फार्म-A पार्ट-2 के बिन्दु क्रमांक 4(ii): Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL : वृक्षों की संख्या 339586 नग अपलोड किया गया है। परन्तु वनमंडलाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र -3 में 340330 नग का उल्लेख है। सही जानकारी सुधार कर अपलोड करें।
2. आनलाईन आवेदन फार्म-A पार्ट-2 के बिन्दु क्रमांक 13 (Additional information Details): में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र हेतु वनमंडलाधिकारियों का Site Suitability Certificate अपलोड नहीं है।
4. Form A Part-II के कालम न. 16 (Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV)) में व.म.अ. का भाग-2 अपलोड नहीं है। एवं मुख्य वन संरक्षक कवरिंग पत्र अपलोड है।
5. आनलाईन आवेदन फार्म-A पार्ट-2 के Additional information Details में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का व.म.अ. द्वारा सत्यापित डी.जी.पी.एस रिपोर्ट अपलोड नहीं है।

आफलाईन आपत्तियाँ:

6. आवेदित क्षेत्र में 12.0952 राजस्व वन क्षेत्र है। जिसके तारतम्य में कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। जानकारी आनलाईन अपलोड भी करें।
7. आनलाईन आवेदन फार्म-A पार्ट-2 के बिन्दु क्रमांक 13 (Details of compensatory afforestation scheme): में दुगने बिगड़े वन क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। नियमानुसार मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जावे।
8. चेक लिस्ट क्रमांक-24 अनुसार अनुमोदित मार्किंग प्लान प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
9. प्रस्तावित वन क्षेत्र का वनस्पति मानचित्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर कमियों की पूर्ति हेतु ई.डी.एस किया जा रहा है। सुधार कर प्रेषित करें।


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़